भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 2179
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

भारतीय निर्णय पत्रिका अधिनियम

2179. **श्री जसबीर सिंह गिल** :
क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार वकीलों को केवल न्यायालय की वेबसाइट पर दिए गए आदेशों का उद्धरण देने संबंधी निदेश जारी करने हेतु न्यायालयों से अनुरोध करने पर विचार कर रही है जबकि भारतीय निर्णय पत्रिका अधिनियम, 1875 का निरसन हो चुका है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार अदालतों से पूर्व उदाहरण के रूप में उद्धृत निर्णय की प्रत्येक प्रति पर निष्पक्ष टिप्पणी प्रदान करने का अनुरोध करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या ई-कोर्ट परियोजना लागू होने के बावजूद, न्यायालय के चयनित प्रकाशकों की निर्णय प्रतियों पर जोर दे रहा है जिससे वादियों और वकीलों को वित्तीय कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा निजी प्रकाशकों के वाणिज्यिक एकाधिकार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार इंग्लैंड में प्रचलित तंत्र का पालन करने की योजना बना रही है जहां निगमित काउंसिल ऑफ लॉ रिपोर्ट द्वारा केवल आधिकारिक प्रकाशित रिपोर्ट को ही बाध्यकारी पूर्व उदाहरण माना जाता है, निजी प्रकाशकों के उद्धरण को नहीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : जी, नहीं । मामला, संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 227 के अधीन माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 141 में उपबंध के अनुसार भी, उच्चतम न्यायालय निर्णयों के माध्यम द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। तथापि, निर्णय में केवल विनिश्चयाधार ही है, जो नज़ीर को आबद्धकर बनाता है।

वकीलों द्वारा किसी निर्णय के प्रोद्धरण की रीति और न्यायालयों द्वारा उसकी स्वीकृति या अन्यथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के व्यवहार, प्रक्रिया और सुसगंत नियमों के अनुसार है ।

(घ) : कोई अधिप्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

****